UPHR010073002016

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A.) Act, हरदोई।

<u>विशेष परिवाद संख्या– 81/2016</u>

श्रीमती रीनू प्रति अजयपाल, आदि

अं०धारा–323/34,452,504,506 IPC & 3(1)(X) SC/ST (P.A.) Act

थाना– पिहानी, जिला हरदोई

<u>दिनांकः 06–08–2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत। परिवादिनी निरन्तर अनुपस्थित। अभियुक्ता सावित्री पत्नी मेवाराम उपस्थित। अभियुक्त अजयपाल, मेवाराम व सावित्री पत्नी अजयपाल अनुपस्थित।

प्रस्तुत परिवाद में आदेश दिनांकित 11.04.2018 के माध्यम से अभियुक्तगण अजयपाल, मेवाराम, सावित्री पत्नी अजयपाल व सावित्री पत्नी मेवाराम के विरूद्ध अं०धारा 323/34, 452, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)(X) SC/ST (P.A.) Act आरोप विरचित हुआ तथा पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत चली आ रही है किन्तु परिवादिनी साक्ष्य हेतु उपस्थित नही आ रही है।

प्रस्तुत प्रकरण में आदेश दिनांकित 30.05.2015 के माध्यम से अभियुक्तगण को विचारणार्थ आहूत किया गया है। परिवादिनी अन्तिम बार दिनांक 24.12.2015 को उपस्थित आयी थी। इस प्रकार परिवादिनी गत 11 वर्षों से अनुपस्थित चल रही है। परिवाद कार्यवाही में साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व परिवादी का होता है, जिसका निर्वहन परिवादिनी द्वारा नही किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी प्रस्तुत परिवाद में अग्रेतर कार्यवाही की इच्छुक नही है। अतः परिवादिनी साक्ष्य का अवसर समाप्त कर, अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

परिवादिनी के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है। अभियुक्तगण अजयपाल, मेवाराम, सावित्री पत्नी अजयपाल व सावित्री पत्नी मेवाराम को आरोपित अपराध अं०धारा 323/34, 452, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)(X) SC/ST (P.A.) Act से दोषमुक्त किया जाता है। बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार संग्रहीत अभिलेखागार हो।

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act,
हरदोई
ID– UP1574

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.08.14 10:59:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court